

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-06/2025-  
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष राशि 15.58 करोड़ (पंद्रह करोड़ अठावन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-956 दिनांक-28.02.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 45.58 करोड़ (पैंतालिस करोड़ अठावन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 182.35 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ पैंतीस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 30.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष राशि 15.58 करोड़ (पंद्रह करोड़ अठावन लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष राशि 15.58 करोड़ (पंद्रह करोड़ अठावन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0105-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता-PTSPLA014) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA014 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2025 के पृष्ठ संख्या-14/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2025 के पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-10.02.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2025- 824

/पटना, दिनांक- 11.02.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।